



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर आत्महत्या के लिए उकसाने वाले अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 25,000/-रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवार में पंजीकृत मु0अ0सं0-69/2019 धारा-498ए,304बी भा0द0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त उमाशंकर उर्फ सन्दीप पुत्र कारेलाल साहू निवासी ग्राम निवादा, थाना बिवार, जनपद हमीरपुर को धारा-306,498ए भा0द0सं0 में दोषसिद्ध करते हुए 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 25,000/-रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक एडीजीसी
क्रि0 चन्द्रप्रकाश
गोस्वामी



विवेचक-
सीओ बालक राम



पैरोकार
थाना- बिवार
का0 श्रीकान्त राजपूत